# किसान भाई क्या करें

## प्रभावी बिन्दु

### 16 नवम्बर से 15 दिसम्बर, 2011

**फसलोत्पादन -**

- धान की फसल में उभरे ऊसर पैचों को गेहूँ की बुवाई के समय गोबर की सड़ी खाद / वर्मीकम्पोस्ट का प्रयोग अधिक मात्रा में करते हुये पैचों के ऊपर हल्का पुवाल बिछा दें ताकि नमी संरक्षित रहे और जमाव अच्छा हो।
- निगम द्वारा पी0वाई0-1 के लाभार्थियों को उपलब्ध कराये गये गेहूँ बीज (राज 3077 एवं लोक 1) प्रजाति की ही बुआई ऊसर के चयनित खेत में करना है तथा बुआई के समय निर्धारित मात्रा में खाद का प्रयोग करें। रासायनिक उर्वरक डालते समय इस बात का ध्यान रखें कि डी.ए.पी. के साथ जिंक सल्फेट का प्रयोग न करें।
- यदि गेहूँ का बीज शोधित नही है तो बुवाई से पूर्व बीजों को फंफूदीनाशक कार्बाक्सिल, एजेटोबैक्टर और पी0एस0बी0 कल्चर से उपचारित कर लें, जिससे शोधित किये गये बीज का जमाव अधिक और शीघ्र होगा तथा फसल अच्छी होगी।
- गेहूँ की बुआई दिसम्बर के प्रथम सप्ताह तक अवश्य कर लें।
- ऊसरीले क्षेत्रों में बीज की मात्रा सामान्य खेतों की अपेक्षा ज्यादा रखी जाती है। निगम द्वारा प्रति हेक्टेयर 120 किग्रा0 बीज के प्रयोग की संस्तुति है।
- विलम्ब से बुआई की दशा में गेहूँ बीज को 12 घंटे पानी में भिगोकर उसे बोरे से ढककर अंकुरित करा लें। इससे जमाव शीघ्र होगा।
- गेहूँ की बुआई के बाद और जमाव से पूर्व खरपतवार से बचाव हेतु पेन्डामिथलीन 3.3 ली0 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर प्रयोग कर लें। इसका प्रयोग खेत में उल्टे चलते हुए करें ताकि रसायन की लेयर न टूटे।
- विलम्ब से बुआई की दशा में गोबर की खाद या वर्मीकम्पोस्ट के प्रयोग से जमाव जल्दी होता है।
- गेहूँ की सिंचाई के लिए छोटी-छोटी क्यारियाँ बनायें। इससे सिंचाई में सुविधा रहेगी और पानी हल्का लगेगा।

- भण्डारित किये जाने वाले धान को अच्छी तरह से सुखाकर ही उसका भण्डारण करें। भण्डार गृह को मैलाथियान के तैलीय घोल (मैलाथियान 50 प्रतिशत के एक भाग को 100 भाग पानी में मिलाकर) 3 ली0 घोल प्रति 100 वर्ग मी0 की दर से गोदाम की फर्श, छत और चारों दीवारों पर छिड़कना चाहिए तथा नये बोरों के स्थान पर यदि पुराने बोरों का प्रयोग किया जाता है, तो इन्हें भी इसी घोल में डुबोकर फिर सुखाकर धान को भरना चाहिए।

**प्रक्षेत्र विकास-**

- पी0वाई0-2 के ग्रामों में सी श्रेणी के पैच में गठित जल उपयोग समूहों में लाभार्थी मेड़बन्दी, फील्ड ड्रेन एवं समतलीकरण का कार्य अभियान के रूप में चलायें ताकि पर्याप्त नमी रहते गुणवत्तायुक्त/मानक के अनुरूप मेड़ें, फील्ड ड्रेन एवं समतलीकरण का कार्य किया जा सके।
- मेड़बन्दी करते समय छोटे-छोटे प्लॉट बनायें ताकि समतलीकरण में सुविधा रहे।
- सी श्रेणी के प्लॉटों में जहाँ पर ऊसर की अधिक मात्रा सफेद चादर की तरह दिखायी देती हो, वहाँ पर स्क्रेपिंग (खुरचकर) करके रेह को किसी गड्ढे में दबा दें।
- सी श्रेणी की भूमि में दो प्लॉटों के बीच में खेत नाली बनायी जाये, जिससे दोनों ओर स्वतः मेंड़ बनती चली जाये।
- चयनित क्षेत्रों में मेड़बन्दी, सिंचाई नाली एवं फील्ड ड्रेन का निर्माण रस्सी की सहायता से दागबेल लगा कर करें।
- पी0वाई0-2 में अवशेष प्लॉटों के मृदा नमूने 06-08 इंच की गहराई से एकत्र करा लिये जाँय और उन्हें जाँच के लिए प्रयोगशाला भेजवा दें।
- जल उपयोग समूह के सदस्य बैठक कर निगम कर्मियों के सहयोग से बोरिंग हेतु उपयुक्त लाभार्थी का चयन करेंगे, जिससे समूह के सभी सदस्यों को ओसराबन्दी के हिसाब से पानी प्राप्त हो जाय।

**सहभागिता-**

- पी0वाई0-2 के ग्रामों में लाभार्थी जल उपयोग समूह का गठन कर बैंक में खाते शीघ्र खुलवा लें तथा पासबुक अपने पास ही रखें।
- पी0वाई0-2 के ग्रामों के जिन लाभार्थियों ने समूह का खाता खुलने के उपरान्त अभी तक चयन पत्र प्राप्त न किया हो, वे एस0आई0सी0 बैठक में भाग लेकर स्थानीय कार्यकारियों से अपना चयन पत्र प्राप्त कर लें।

- किसान भाई एस0आई0सी0 एवं जल उपयोग समूह की बैठक का एक स्थान एवं समय अवश्य निश्चित कर लें, ताकि एस0आई0सी0 की बैठक में अन्य विभागों के कर्मचारी/अधिकारी भी भाग ले सकें और स्थानीय समस्याओं का निराकरण मौके पर किया जा सके।
- किसान भाई जल उपयोग समूह एवं स्थल क्रियान्वयन समिति की प्रत्येक बैठक में अवश्य भाग लें।
- लाभार्थी महिलायें एस0आई0सी0 बैठक एवं महिला स्वयं सहायता समूह की बैठक में जरूर जाँयें।
- किसान भाई खेती किसानी से सम्बन्धित समस्त निर्णय एस0आई0सी0 के माध्यम से करें।
- परियोजना ग्राम में गठित कोर टीम अपना कार्य एवं दायित्व प्रभावी ढंग से सम्पन्न करे।

**महिला स्वयं सहायता समूह-**

- लाभार्थी महिलायें छः माह से अधिक पुराने स्वयं सहायता समूहों में आपसी लेन-देन करते हुए बैंक से नकद साख सीमा हेतु कार्यवाही स्थानीय कार्यकारी के सहयोग से पूर्ण करायें।
- महिलायें अपने समूह में नियमित बैठक, बचत एवं आंतरिक ऋण के साथ अभिलेखों का रखरखाव निगम कर्मियों के सहयोग से ठीक रखें।

**कृषि तकनीक-**

- पी0वाई0-2 के ग्रामों में ऐसे इच्छुक लाभार्थी जो मधुमक्खी पालन, नाडेप, वर्मीकम्पोष्ट एवं अन्य प्रदर्शन करना चाहते हैं, वे परियोजना कर्मियों से सम्पर्क कर एस0आई0सी0 से अनुमोदन के बाद अपना पंजीयन करा लें।
- मधुमक्खी पालन हेतु चयनित कृषक मधुमक्खी कालोनी (बक्से) अतिशीघ्र स्थापित कर लें।
- मृदा की जीवांश कार्बन एवं उर्वरक उपयोग क्षमता में वृद्धि करने हेतु नादेप व वर्मीकम्पोस्ट जो गोबर की खाद से उत्तम खाद होती है, का कार्य पूर्ण कर निगम से अनुदान प्राप्त कर लें।
- वर्मी कम्पोस्ट के जिन गड्ढों में 90 दिन पूर्व केचुये डाले गये हों उससे सटे हुए जालीदार गड्ढे में 15 दिन पुराना गोबर डाल दें ताकि केचुये पुरानी

वर्मीकम्पोस्ट से निकलकर अर्द्ध सड़े गोबर पर काम करना शुरू कर दें। इस प्रक्रिया से तैयार वर्मीकम्पोस्ट को आगामी फसल में प्रयोग किया जा सकता है।

- गेहूँ के बीज उत्पादन हेतु इच्छुक लाभार्थी परियोजना कर्मियों से सम्पर्क कर अपना पंजीयन करा लें और निवेश की सुनिश्चित व्यवस्था कर लें।

**पशुपालन -**

- पशुओं को गलाघोंटू खुरपका-मुँहपका की बीमारी से बचाव हेतु टीकाकरण करायें।
- दुधारू पशुओं को मिनरल मिक्सचर की खुराक पिलायें ।
- पी0वाई0-1 के ग्रामों के लाभार्थी क्रियान्वित मिनरल मिक्सचर को पशुओं के खान-पान में प्रतिदिन उपयोग में लायें।
- पैदा होने वाले बच्चों को खीस (कोलेस्ट्रम) पिला कर रोगरोधी क्षमता का विकास करें।
- पशुओं में पेट के कीड़ों के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से कृमिनाशक दवा पिलायें।
- मादा पशुओं का गर्भ परीक्षण करायें एवं कृत्रिम गर्भाधान को अपनाकर पशुओं में गुणवत्तायुक्त संतति एवं अधिक दुग्ध उत्पादन प्राप्त करें।
- पशुओं को संतुलित आहार के रूप में हरा चारा- बरसीम, जई तथा लवण मिश्रण खिलायें।
- थनैला रोग होने पर उपचार करायें।
- पशुओं को स्वच्छ पानी पिलायें एवं दूध निकालने से पूर्व अयन को अवश्य धोंये।

**उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम**

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

आराधना शुक्ला, आई0ए0एस0, प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम

टी0सी0/19 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

फोन कार्यालयः पी0बी0एक्स0, फैक्सः (0091)-0522-2720416-17

Website: www.upbsn.org

**टोल फ्री नम्बर-1800-1800-818**